अनुदान संख्या 98 – पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 98 - MINISTRY OF TOURISM

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2032,04,00		2032,06,00	803,88,28	-1228,17,72
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1211,31,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	19000.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-19000.00			
मुख्य शीर्ष "3452"	Major Head "3452"				
पर्यटन	Tourism				
मू.	O.	182751.00			
पू.	S.	1.00	81189.00	79583.61	-1605.39
पु.	R.	-101563.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	527.00			
			..	..	..
पु.	R.	-527.00			

(I) ₹20060.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के तहत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹20055.00 लाख (दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹2.00 लाख पूरक अनुदान सहित) को निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के लिए लेखाबद्ध किया गयाः–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "सामान्य – (पर्यटन) – प्रशिक्षण – आईएचएम/एफसीआई/ आईआईटीटीएम/ एनसीएचएमसीटी" – ₹501.00 लाख;

(ख) "सामान्य–(पर्यटन) – संवर्धन और प्रचार – आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार" – ₹1500.00 लाख; और

(ग) "पर्यटन अवसंरचना – पर्यटक आवास – स्वदेश दर्शन समन्वित विकास – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास" – ₹17000.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹20060.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹20055.00 lakhs (including supplementary grants of ₹2.00 lakhs obtained in December,2021 and March, 2022) accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2552" –

(a) "General – (Tourism) – Training – Assistance to IHMs/FCI/IITTM/ NCHMCT" - ₹501.00 lakhs;

(b) "General - (Tourism) - Promotion and Publicity – Domestic Promotion and Publicity including Hospitality" - ₹1500.00 lakhs; and

(c) "Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation - Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits" - ₹17000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/ funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3452" – "पर्यटक अवसंरचना – आरक्षित निधि में हस्तांतरण – महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटक स्थल" – ₹527.00 लाख; और

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटक स्थल" – ₹527.00 लाख।

राज्य सरकार द्वारा दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(II) प्रमुख शीर्ष "3452" के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(का) "पर्यटक अवसंरचना" –

(क) "पर्यटक केंद्र" –

(i) "पर्यटक अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता" – ₹1044.13 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम परियोजनाओं के शुरू होने और कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(ii) "स्वदेश दर्शन – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास" – ₹15063.00 लाख की बचत (₹37800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "पर्यटक आवास" –

(B) Major Head "3452" – "Tourist Infrastructure – Transfer to Reserve Fund – Safe Tourist Destination for Women" - ₹527.00 lakhs; and

(C) Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share – Safe Tourist Destination for Women" - ₹527.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of claims from State Governments.

(II) Under Major Head "3452" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Tourist Infrastructure" –

(a) "Tourist Centre" -

(i) "Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development" – saving of ₹1044.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to undertaking of less projects and slow progress of work owing to COVID-19 pandemic.

(ii) "Swadesh Darshan – Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits" - saving of ₹15063.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37800.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Tourist Accommodation" -

(i) "बाजार अनुसंधान" – ₹1874.70 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को रोक दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(i) "Market Research" - saving of ₹1874.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to discontinuation of the scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम" – ₹12300.39 लाख की बचत (₹19000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कम दावों के प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "Champion Services Sector Scheme" - saving of ₹12300.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19000.00 lakhs) was due to receipt of less claims owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वदेश दर्शन – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास" – ₹4800.43 लाख की बचत (₹8200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Swadesh Darshan – Integrated Development of Theme - Based Tourist Circuits" - saving of ₹4800.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8200.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "सामान्य" –

(B) "General" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(a) "Direction & Administration" –

(i) "पर्यटन महानिदेशालय" – ₹661.80 लाख की बचत (₹5288.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कोविड–19 महामारी के कारण एलटीसी, सीईए, कम दौरे किए जाने से कम दावे प्राप्त होने और आई.टी. उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

(i) "Directorate General of Tourism" – saving of ₹661.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5288.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards LTC, CEA, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and less procurement of IT equipment.

(ii) "विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय" – ₹1839.79 लाख की बचत (₹3735.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कोविड–19 महामारी के कारण एलटीसी, सीईए, कम दौरे किए जाने से कम दावे प्राप्त होने और पेरिस कार्यालय बंद किए जाने के कारण किराए के लिए निधि की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) "Tourist Offices Abroad" - saving of ₹1839.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3735.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards LTC, CEA, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and requirement of less funds towards rent owing to closure of Paris office.

(ख) "प्रशिक्षण" – "सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण" – ₹4242.71 लाख की बचत (₹6365.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Training - Capacity Building for Service Provider" - saving of ₹4242.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6365.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and conduction of less training programs owing to COVID-19 pandemic.

(ग) "संवर्धन और प्रचार – प्रत्यक्ष व्यय" – ₹60330.25 लाख की बचत (₹65047.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कम प्रचार कार्यकलापों को किए जाने और स्कीमों के समीक्षाधीन होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "Promotion and Publicity - Direct Expenditure" - saving of ₹60330.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹65047.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, less publicity activities owing to COVID-19 pandemic and scheme being under review.

(III) उपर्युक्त एक शीर्ष के अंतर्गत ₹354.58 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹354.58 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹600.00 लाख) प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की गईं जिसकी सूचना मुख्य शीर्ष "3452 – "सामान्य – प्रशिक्षण – आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी के अंतर्गत" मार्च, 2022 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक अनुदान प्राप्त करते समय पहले ही संसद को दे दी गई थी। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹518.65 लाख था।

2. The above savings were partly (₹600.00 lakhs) utilized for augmenting the provision as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2022 under Major Head "3452" – "General – Training – Assistance to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT". Actual excess, however, was ₹518.65 lakhs.